भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 64557

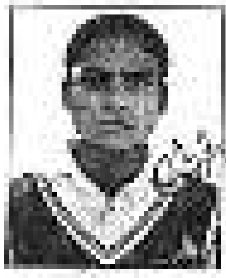

विक्रय-पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1	भूमि का प्रकार	: कृषि
2.	परगना	: मोहनलालगंज
3.	ग्राम	: मावइमऊ कला
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0)	: खाता संख्या-00009, खसरा संख्या-183
5.	मापन की इकाई	: हेक्टेयर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	: 0.3204 हेक्टेयर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 64552[illegible]

- 2 -

7.	सम्पत्ति का प्रकार	: कृषि
8.	पेड़ों का मूल्यांकन	: कुछ नहीं
9.	बोरिंग/कुआं/अन्य	: कुछ नहीं
10.	प्रतिफल की धनराशि	: रु0 16,45,254/-
11.	मालियत	: रु0 3,84,480/-
12.	स्टाम्प	: रु0 1,15,250/-

चौहद्दी

खसरा नं0–183

पूरब	: सीमा ग्राम सोनई कंजाहरा
पश्चिम	: खसरा संख्या–169 व 182
उत्तर	: खसरा संख्या–184
दक्षिण	: सीमा ग्राम सोनई कंजहरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हज़ार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 645527

प्रथम पक्ष की संख्या–01

द्वितीय पक्ष की संख्या–01

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
राम आसरे पुत्र श्री शिवराम, निवासी–सैदापुर, तहसील–बक्शी का तालाब, जिला–लखनऊ। व्यवसाय – कृषि	:	अभिषेक पुत्र सर्वजीत, निवासी –ग्राम व पोस्ट–कपेरा, पवारपुर, मोहनलालगंज, लखनऊ।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख राम आसरे पुत्र श्री शिवराम, निवासी–सैदापुर, तहसील–बख्शी का तालाब, जिला–लखनऊ, जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है, एवन् अभिषेक पुत्र सर्वजीत, निवासी –ग्राम व पोस्ट–कमेटा, मदारपुर, मोहनलालगंज, लखनऊ, जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या–183, कुल रकबा 0.9610 का 1/3 भाग यानि रकबा 0.3204 हेक्टेअर, स्थित–ग्राम

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-मोहरमऊ कला, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, जिला लखनऊ, का मालिक, काबिल व काबिज है। उक्त भूमि को विक्रेता ने बजरिये पंजीकृत विक्रय विलेख राम सेवक पुत्र शीतल, निवासी-मोहरमऊ कला, परगना व तहसील- मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ से प्राप्त किया था, जो कार्यालय उपनिबंधक मोहनलालगंज, लखनऊ में दिनांक 31.05.2010 को बही संख्या-1, जिल्द संख्या 2165, के पृष्ठ संख्या-1/20, क्रमांक 3267 पर पंजीकृत है।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 019?32

अब विक्रेता [illegible] के समस्त भूमि को अपनी पूर्ण होशो हवास में बिना किसी और जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है। वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व नहीं बेचा, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH [illegible]019133

विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप रू0 16,45,254/- (रूपया सोलह लाख पैंतालिस हजार दो सौ चौवन मात्र) के प्रतिफल में जिसको कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करता है, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस

Abhishek

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 714865

विवरण विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को मालई बेच दिया है एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपभोग व उपयोग करेगा। विक्रेता उसमें किसी प्रकार

भी अड़चन बाधा नहीं डाल सकेगा एवं न ही कोई मांग कर सकेगा। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थित में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होंगे।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा ले तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेगा, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम [illegible] बाला, तहसील मोहनलालगंज के अतिविशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है, जिसका निर्धारित सर्किल रेट रु0 12,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.3204 हेक्टेअर की मालियत रु0 3,84,480/- होता है, चूंकि विक्रय मूल्य भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु0

रु0 1,75,250/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। इस भूमि में कोई कुआं, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मीटर के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निष्पादन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

ज्ञात हो कि ऊपर प्रयोग किये गये शब्दों ''विक्रेता'' एवं ''क्रेता'' में, जब तक वे प्रसंग के प्रतिकूल न हों, उनके विधिक प्रतिनिधिगण व उत्तराधिकारीगण भी सम्मिलित हैं।

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

खसरा संख्या-183, कुल रकबा 0.9610 का 1/3 भाग यानि रकबा 0.3204 हेक्टेयर, स्थित-ग्राम -माढरमऊ कला, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, जिला लखनऊ।

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

कुल विक्रय मूल्य रु0 16,45,254/- (रुपया सोलह लाख पैंतालिस हजार दो सौ चौवन मात्र) जरिये चेक संख्या- 315535 दिनांकित 20.07.2010 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हजरतगंज, लखनऊ विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करता है।

नोट: पृष्ठ संख्या-11 भुगतान के विवरण में चेक संख्या व दिनांक काले पेन से लिखा गया है।

लखनऊ
दिनांक : 21.07.2010

गवाहान:-

1.

विक्रेता

2.

क्रेता

टाईपकर्ता :

(राम सनेही)
सिविल कोर्ट, लखनऊ.

मसविदाकर्ता :

(मयंक श्रीवास्तव)
एडवोकेट

Registration No. 4527

[illegible]

नक्शा नजरी

ग्राम– [illegible]

खसरा संख्या– [illegible]

विक्रेता – [illegible]

क्रेता – [illegible]

विक्रेता

क्रेता

[illegible]

Registration No.: [illegible] Year: [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

रजिस्ट्रेशन अधिनियम–1908 की धारा 32–ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टस्

विक्रे. का नाम व पता- राम आसरे पुत्र श्री शिवराम, निवासी-सैदापुर, तहसील-बख्शी का तालाब, जिला-लखनऊ

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

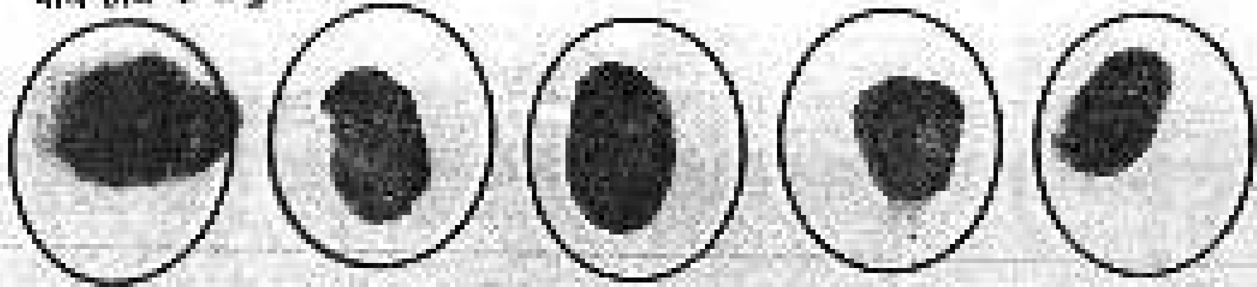

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

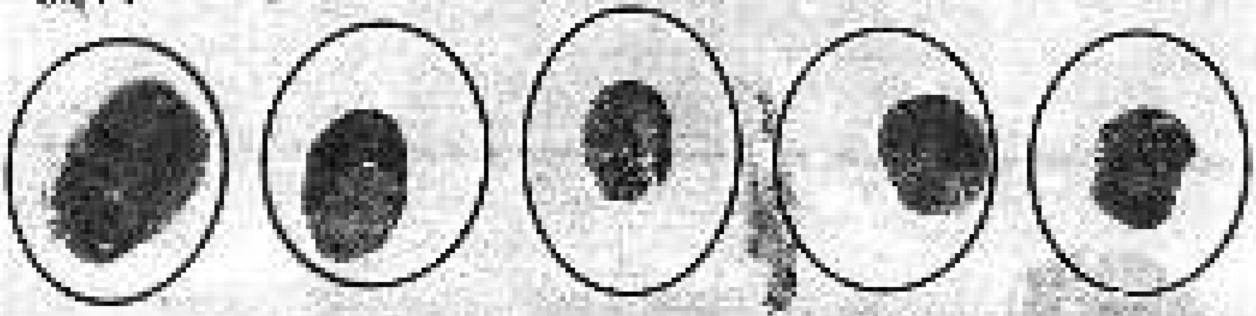

विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता का नाम व पता- अभिषेक पुत्र सर्वगीत, निवासी -ग्राम व पोस्ट-कठेरा, मवाइपुर, मोहनलालगंज, लखनऊ

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

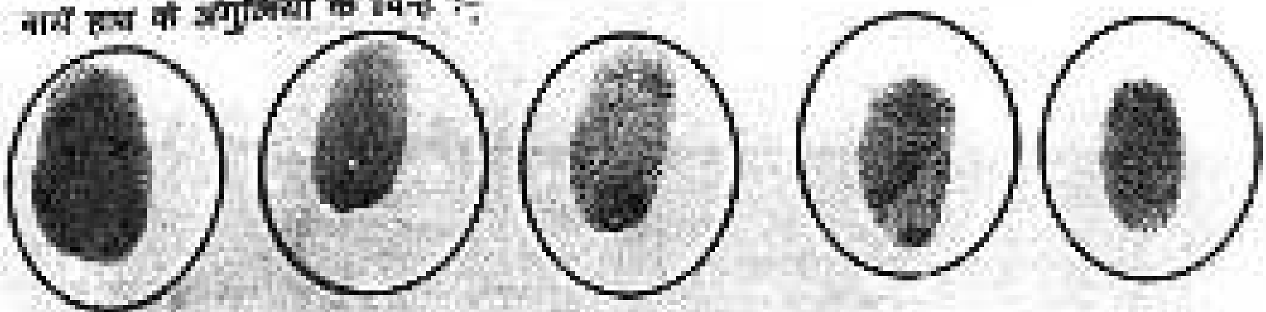

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

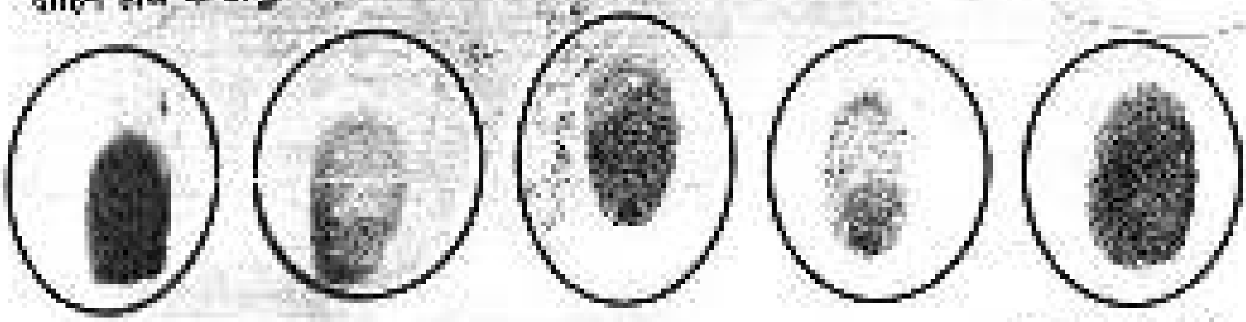

क्रेता के हस्ताक्षर

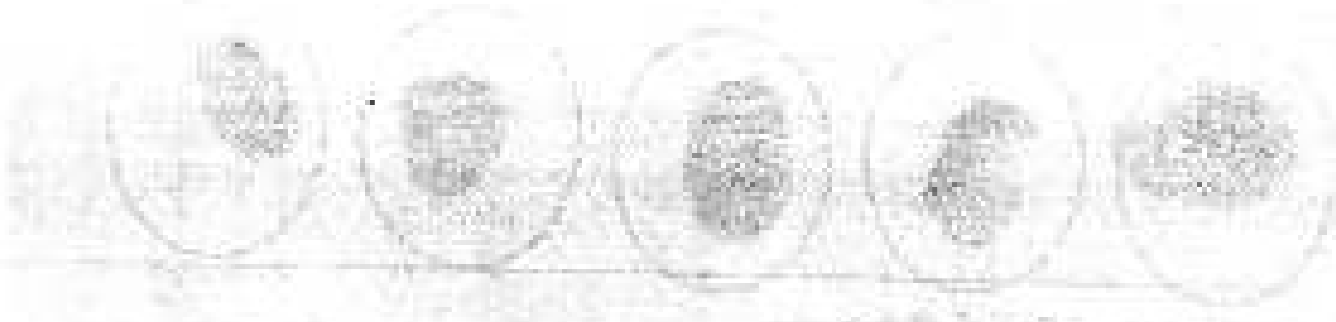

आज दिनांक 21/07/2010 को

बही सं. 1 जिल्द सं. 2221

पृष्ठ सं. 1 से 26 पर क्रमांक 4527

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अर्पिता शर्मा पाण्डेय

उ.नि.मोहनलालगंज

लखनऊ

21/7/2010